

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल्ला, झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड (पुराना मुख्यालय), हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची - 834002.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के द्वारा Draft JSERC (Terms and Conditions for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2025 को अंतिम रूप देने के पूर्व उक्त विनियमन के प्रारूप पर जन-सुनवाई दिनांक 07.10.2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से आयोग के सभागार, प्रथम तल्ला, झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड (पुराना मुख्यालय), हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची - 834002 में होना सुनिश्चित किया गया है ।

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियाँ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार


सचिव